

प्रश्न ६ (निम्न)

कृषि-संवर्धन योजना (कृषि-संवर्धन तथा कृषि-आवर्धन) नियम, 2020

CLR No.: 11:5060100018041000611

[illegible]

तत्त्वज्ञानम्.  
तत्त्वज्ञानम्.  
तत्त्वज्ञानम्.

*(Handwritten signature)*

8/9/2024






मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 1115060100018041000844

वर्ष: 2021-22

दिनांक: 27-09-2021 16:18:40



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	बुदारीटोला	बोदारीटोला	मझौली	सीधी
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4) 0 20 40 60 80 120 160 200m	
136/1/2(S)	1.4002 (हेक्टर.)			
भूस्वामी: (आसकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश आसन सम्पूर्ण भूमि आसकीय संस्था  			Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1 Date: 2021.09.27 16:22:44 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy CLR No. : 1115060100018041000844 (हस्ताक्षर)	

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mnhbhulekh.gov.in> and reflects the status of the entries as

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



न्यायालय कलेक्टर, जिला-सीधी (म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी, रवीन्द्र कुमार चौधरी आए ए एस. कलेक्टर, जिला सीधी)  
प्रकरण क्रमांक / 0001 / अ-19(3) / 2021-22

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क-3 देवलोद पो0आ0  
बाणसागर जिला शहडोल (म0प्र0) ..... आवेदक।

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक।

आदेश

(पारित दिनांक 07 मई 2021)

1. कार्यपालन कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क-3 देवलोद पो0आ0 बाणसागर जिला शहडोल (म0प्र0) के द्वारा पत्र क्रमांक 954 / कार्य/बहुती नहर/2021, दिनांक 16.04.2021 प्रेषित कर लेख किया गया है कि बहुती नहर निर्माण से प्रभावित गोविन्दगढ विस्तार वन क्षेत्र में वन कक्ष क0 आर एफ 1121 ग्राम मझिगवा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के रकवा 1.4002 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन हेतु बेब / पोर्टल पर प्रस्ताव (FB/MP/IRRI G/ 38634/ 2019) भाग1 दिनांक 13.0.9. 2019 ऑनलाइन आवेदन किया गया है। विषयांकित प्रकरण के द्वारा प्रभावित वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन/चुरहट के प्रस्तावित ग्राम चंदरेह, मडवा, बोकरो की राजस्व भूमिया वन विभाग के सयुक्त सर्वेक्षण में उपयुक्त नहीं पाई गयी, जिसमें प्रकरण के निराकरण में विलम्ब हो रहा है एवं नहर निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है ग्राम बोदारीटोला हल्का बोदारीटोला रानिम.मझौली तह0 मझौली की आराजी क्रमांक 136/1 रकवा 4.299 हे भूमि जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज है पूर्व में आराजी क्रमांक 136 कुल रकवा 7.150 हे0 में से जुज रकवा 2.8510 हे0 भूमि खसरा न 136/2 स्थापित कर कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 001अ19(3)2018-19 से बहरी नहर विस्तार (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को हस्तान्तरण की गयी है जो वन विभाग द्वारा ग्राह्य की गयी है। इस कारण शेष भूमि में से ही 1.4002 हे0 अंशभाग वन विभाग को हस्तान्तरित किये जानें में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः ग्राम बोदारीटोला की आराजी क 136/1 रकवा 4.2990 हे0 के जुज रकवा 1.4002 हे0 को बहुती नहर निर्माण से प्रभावित वन कक्ष के आर एफ 1121 गोविन्दगढ विस्तार वन क्षेत्र के रकवा 1.4002 हे वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि वन विभाग का हस्तान्तरित किया जाय।

2. उपरोक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, मझौली से जाँच प्रतिवेदन मँगाया गया। तहसीलदार मझौली के द्वारा पत्र दिनांक 06.05.2021 द्वारा लेख किया गया।

Recd  
Collector  
Dist. Seoni (M.P.)

है कि ग्राग बोदारीटोला की आराजी क्रमांक 136/1 रकबा 4.2990 हे० शासकीय जल संसाधन विभाग सीधी के नाम दर्ज अभिलेख है।

3. संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 001अ19(3)2018-19 जारी आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2018 द्वारा तहसील मझौली के पटवारी हल्का बोदारीटोला नं०-18 के ग्राग बोदारीटोला की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 136 रकबा 7.150 हे० में से अंश रकबा 2.851 हे० ग्राग गजरी, चुरवाही, पटेहरा कोठार, झुमरिया दुअराकला की नहर निर्माण में वन विभाग की कुल प्रभावित रकबा 2.851 हे० के समतुल्य रकबा सिंचाई विभाग से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन मण्डलाधिकारी सीधी को निःशुल्क अन्तरित करने तथा शेष रकबा 4.299 हे० यथावत सिंचाई विभाग के नाम यथावत रखने का आदेश जारी किया गया था। सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रकबा 4.299 हे० में से 1.4002 हे० रकबा वन विभाग के नाम अन्तरित करने हेतु कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बाध संभाग क्र-3 जिला शहडोल सहमत है। आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है।

4. अतएव बहुती नहर निर्माण से प्रभावित गोविन्दगढ विस्तार वन क्षेत्र में वन कक्ष क्र० आर० एफ० 1121 ग्राग मझिगवां तहसील रामपुर नैकिन के रकबा 1.4002 हे० तहसील मझौली के पटवारी हल्का बोदारीटोला नं०-18 के ग्राग बोदारीटोला की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 136/1 रकबा 4.2990 हे० में से अंश रकबा 1.4002 हे० वन विभाग की कुल प्रभावित रकबा 1.4002 हे० के समतुल्य रकबा सिंचाई विभाग से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन मण्डलाधिकारी सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है। शेष रकबा 2.8988 हे० यथावत सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रहेगा।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
Collector  
Dist. Shajapur (M.P.)  
जिला सीधी (म०प्र०)

पृ० प्रकरण क्रमांक / 000 / अ-19(3) / 2021-22 सीधी, दिनांक 07 मई 2021,  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, प्रगति भवन तृतीय तल एम.पी.नगर जोन-01

भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. सचिव, म०प्र० शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।

3. सचिव, म०प्र० शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।

4. सचिव, म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।

5. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को सूचनार्थ।
6. वन मण्डल अधिकारी सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क 3 देवलोद पो आ बाणसागर जिला शहडोल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. उपखण्ड अधिकारी, मझौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10-तहसीलदार मझौली, मौके पर भूमि का कब्जा वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी को प्रदान कर संशोधित खसरे एवं नक्शे की नकल सहित पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर भेजें।

*Reel*  
**Collector** 07/05/17  
 District (M.P.)